राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O).

पत्रांक : CCE/ISDC/Misc./Direction/2022/257

दिनांकः : 11.09.2023

प्राचार्य,

समस्त राजकीय /निजी महाविद्यालय,

राजस्थान।

विषय : राजस्थान सरकार के अभियान "राजस्थान मिशन-2030" के तहत महाविद्यालय के विद्यार्थियों के सुझाव प्राप्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि "राजस्थान मिशन-2030" विषय पर समस्त महाविद्यालयों में राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने तथा युवाओं को प्रदेश के सर्वांगीण विकास में सहभागिता के उद्देश्य से सुझाव प्राप्त किये जाने हैं।

इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि आज दिनांक 11.9.2023 एवं 12.9. 2023 को आप समस्त कक्षाओं में बैठक आयोजित कर सुझाव प्राप्त करें। विद्यार्थियों के सुझाव प्राप्त करने के लिए कक्षावार विद्यार्थियों के समूह में चर्चा करवाकर सुझाव प्राप्त करें। उक्त समूह द्वारा चर्चा उपरान्त प्राप्त सुझावों को विद्यार्थियों द्वारा हस्ताक्षरित होने के उपरान्त संकलित कर महाविद्यालयों में रखें। समस्त निजी महाविद्यालय प्राप्त सुझावों की pdf फाइल बना कर 12.9.2023 सांय 5 बजे तक rm2030.jdpi@gmail.com पर एवं समस्त राजकीय महाविद्यालय प्राप्त सुझावों की PDF फाइल बना कर innovation.cceraj@gmail.com पर प्रेषित करावें।

निजी महाविद्यालय सहभागी विद्यार्थियों की संख्या समस्त निजी महाविद्यालय स्प्रेडशीट "PRIVATE COLLEGE MISSION 2030" एवं समस्त राजकीय महाविद्यालय स्प्रेडशीट "GOVT. COLLEGE MISSION 2030 " के कॉलम **"Face to Face हेतु physical फॉर्मेट कितने विद्यार्थियों द्वारा भरा गया है "** लिखना सुनिश्चित करें। यदि संख्या बढ़ गयी है तो पूर्व में भरी संख्या को अद्यतन करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए संपन्न करावें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

क्रमांकः CCE/ISDC/Misc./Direction/2022/257 दिनांकः : 11.09.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक निजी संस्थाएं, आकाशि को निर्देशानुसार लेख है कि वे निजी संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन आयोजन की प्रेषित की जाने वाली वीडियो एवं फोटोग्राफ्स की मॉनिटरिंग करें।
7. वैब प्रभारी आयुक्तालय को अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक
निजी संस्थाएं, कॉलेज शिक्षा विभाग